

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0018 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):**
20/09/2026 10:50 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A
3	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	308(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**
Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 20/09/2026 **Time (समय):** 10:50 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004 **Date and Time (दिनांक और समय):** 20/09/2026 10:50 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 50 Km **Beat No. (बीट सं.):** (s)

(b) **Address (पता):** कार्यालय रा स एव भ नि ब्यरो,उप केन्द्र कुरुक्षेत्र

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):**

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** कुलदीप सिंह

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** सुखविन्द्र सिंह

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1971

(d) **Nationality (राष्ट्रियता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f)

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) **Occupation (व्यवसाय):**(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	927, वासी गांव रांवर, जिला करनाल KARNAL, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	927, वासी गांव रांवर, जिला करनाल KARNAL, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):**

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9209800000

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	निरीक्षक राजेश कुमार सी.एम.फलाईंग			1. सी एम फलाईंग हरियाणा, ACB, Ambala, State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):**11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

श्रीमान जी, नकल तहरीर जेल है :-

सेवा में,

इन्सपेक्टर साहब,

विजीलेंस कुरुक्षेत्र,

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैं कुलदीप सिंह पुत्र श्री सुखविन्द्र सिंह वासी मकान न. 927 गांव रांवर, जिला करनाल, राज्य हरियाणा का रहने वाला हूँ और प्राईवेट कार्य करता हूँ। मेरी मेरठ रोड करनाल पर Guru Nanak Construction Co. के नाम से दुकान है और रेत-बजरी को यमुनानगर से अपनी दुकान पर व अन्य जगहों पर किराये पर डालने का तथा अन्य गाड़ियों से किराये पर डलवाने का कार्य भी करता हूँ। रेत-बजरी किराये के लिए मेरी अपनी गाड़ियां व अन्य दोस्तों की गाड़ियां भी मेरे द्वारा ही किराये पर चलाई जाती हैं। इन्सपेक्टर राजेश कुमार सी.एम. फ्लाईंग हरियाणा मेरी रेत-बजरी से भरी गाड़ियों को रोकता है तथा प्रत्येक माह अपने व अपने अफसरो के लिए बतौर रिश्त मंथली देकर गाड़ियों को निकालने का मेरे ऊपर दबाव बनाता है। जिसने मेरे को दिनांक 19.09.2026 को अपने मार्का की गाड़ियों को यमुनानगर से करनाल निकालने के लिए मन्थली की बात करने के लिए उमरी पुल के निचे बुलाया। दिनांक 19.09.2026 को मैं निरीक्षक राजेश कुमार सी.एम. फ्लाईंग से मिलने के लिए गया, तो निरीक्षक राजेश कुमार ने मुझ से मेरी गाड़ियों तथा मेरे दोस्तों की अन्य गाड़ियों को यमुनानगर से करनाल ले जाने की ऐवज में प्रत्येक गाड़ी के 10,000/- प्रति माह की रिश्त की मांग की और प्रत्येक गाड़ी के 10,000/- रुपये प्रति माह ना देने की सुरत में गाड़ियों पर गैर कानूनी रूप से कार्यवाही करने की बात कही। मैंने रिश्त राशि कम करने बारे कहा, तो निरीक्षक राजेश कुमार ने मेरी तथा मेरे अन्य दोस्तों की कुल 70 गाड़ियों के मार्का नोट कर लिये तथा प्रत्येक गाड़ी के 7000/- रुपये प्रति माह के हिसाब से मेरे से 70 गाड़ियों के इस माह के लिए कुल 5,00,000/- रुपये मंथली बतौर रिश्त की मांग की, जो मैंने दबाव में आकर 5 लाख रुपये देने की हामी भर ली। जिसकी मैंने रिकार्डिंग की हुई है, जो मैं आपको सुना सकता हूँ तथा इस रिकार्डिंग डिवाइस को मैं आपको बाद में पेश कर दूंगा। मैं निरीक्षक राजेश उपरोक्त को रिश्त राशि नहीं देना चाहता। मैं निरीक्षक राजेश कुमार सी.एम. फ्लाईंग को 5,00,000/- रुपये रिश्त राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मैं अपनी शिकायत के साथ 500-500/- रुपये के 1000 नोट, मुबलिक 5,00,000/- रुपये आपको पेश कर रहा हूँ। निरीक्षक राजेश कुमार सी.एम. फ्लाईंग हरियाणा के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाये।

-sd-हिन्दी कुलदीप सिंह

कुलदीप सिंह पुत्र श्री सुखविन्द्र सिंह

वासी मकान न. 927 गांव रांवर,

जिला करनाल, राज्य हरियाणा,

मोबाईल नम्बर -92098-00000

कार्यवाही पुलिस:- आज दिनांक 20.09.2026 को मन निरीक्षक मय मुलाजमान के कार्यालय राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र मौजूद हूँ। जो इसी दौरान कुलदीप सिंह पुत्र श्री सुखविन्द्र सिंह वासी मकान न. 927 गांव रांवर, जिला करनाल, राज्य हरियाणा ने हाजिर कार्यालय आकर, एक टाईपशुदा शिकायत मन निरीक्षक को पेश की, मन निरीक्षक ने शिकायतकर्ता से रेड करवाने बारे पुछताछ की और रिकार्डिंग रिश्त लेन-देन सम्बन्धित बातचीत को सुनने उपरान्त, सन्तुष्ट होने पर अफसरान बाला से विचार विमर्श करने उपरान्त, रेड कार्यवाही बारे आदेश लेने पर, अफसरान बाला से आग्रह करके, राजपत्रित गवाह नियुक्त करवाया गया। राजपत्रित गवाह को बजरिया फोन अपने साथ एक अन्य साथी कर्मचारी बतौर छाया गवाह के रूप में साथ लेकर, कार्यालय राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र में आने बारे आग्रह किया गया। शिकायतकर्ता के द्वारा पेश किये गये मुबलिक 500/500 रुपये के 1000 नोट कुल 5,00,000/- रुपये की अलग से फर्द सूची नोट तैयार की गई। पहले से सुचित राजपत्रित गवाह श्री बलवान, सहायक भूमि सरक्षण अधिकारी कुरुक्षेत्र अपने साथी कर्मचारी के साथ हाजिर कार्यालय आया। मन निरीक्षक द्वारा यह नम्बरी नोट मुताबिक फर्द सूची नोट के और मुदई कुलदीप सिंह को राजपत्रित गवाह श्री बलवान, सहायक भूमि सरक्षण अधिकारी कुरुक्षेत्र व छाया गवाह श्री विनोद कुमार, Block Agriculture Officer, Thanesar के सम्मुख पेश किया। राजपत्रित गवाह द्वारा मुदई कुलदीप सिंह उपरोक्त से पुछताछ करके, इन नोटों के नम्बरो का मिलान मुताबिक सूची नोट नम्बरो से करने उपरान्त, यह नोट मेरे हवाले किये। मैंने इन नम्बरी नोटों पर ब्रुश से फिनोल पैथालीन पाउडर लगाकर मुदई कुलदीप सिंह की जामा तलाशी लेकर उपरोक्त नोट करन्सी हवाले मुदई कुलदीप सिंह

किये, ताकि वह निरीक्षक राजेश कुमार सी.एम. फ्लाईंग हरियाणा के मांगने पर रिश्त की राशि उसे दे सके व नियुक्त किये गये छाया गवाह श्री विनोद कुमार, Block Agriculture Officer, Thanesar को हिदायत की गई कि वह मुदई के साथ-2 रहकर निरीक्षक राजेश कुमार व मुदई कुलदीप सिंह के बीच होने वाली बातचीत को सुनने की कोशिश करेगा और आरोपी को रिश्त लेते हुए देखने की कोशिश करेगा और निरीक्षक राजेश कुमार उपरोक्त द्वारा यह रिश्त राशि मुदई कुलदीप सिंह से मांगने उपरान्त, निरीक्षक राजेश कुमार उपरोक्त द्वारा मुदई कुलदीप सिंह से रिश्त राशि प्राप्त करने उपरान्त, छाया गवाह अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर रैडिंग पार्टी को मुकरर शुदा ईशारा करेगा। राजपत्रित गवाह, छाया गवाह और रैडिंग पार्टी तथा मुदई कुलदीप सिंह के हाथ साफ पानी में साबुन से धुलवाए गए। फर्द पर राजपत्रित गवाह व गवाहन ने अपने-2 हस्ताक्षर किए। फर्द पेशगी व हवालगी करन्सी नोट, जामा तलाशी मुदई तैयार की गई। दरखास्त उपरोक्त से निरीक्षक राजेश कुमार सी.एम. फ्लाईंग हरियाणा के द्वारा अपने व अपने अफसरो के लिए कुलदीप सिंह उपरोक्त पर दबाव बनाकर उसकी रेत-बजरी की गाड़ियों को यमुनानगर से करनाल निकालने की ऐवज में 5,00,000/- रुपये मंथली बतौर रिश्त मांगने पर निरीक्षक राजेश कुमार सी.एम. फ्लाईंग हरियाणा के विरुध अपराध धारा 7,7A पी.सी.एक्ट 1988 व 308(2) BNS का सरजद होना पाया गया है। दरखास्त पर तहरीर हजा लिखकर बदस्त मुख्य सिपाही मनीषा रानी न. 633/कैथल के बराये करवाने कायमी मुकदमा दर्ज, प्रबन्धक थाना राज्य सतकर्ता एव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला की सेवा में भेजा जा रहा है। कृप्या तहरीर पर अभियोग अंकित करके मिशल अभियोग, नकल मिशल मौका पर व स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट कुरुक्षेत्र व अफसरान बाला की सेवा में नियमानुसार भिजवाई जाये। मन निरीक्षक मय रैडिंग पार्टी मय शिकायतकर्ता कुलदीप सिंह उपरोक्त व राजपत्रित गवाह, छाया गवाह को साथ लेकर बा सवारी गाडी सरकारी न. HR-03GV-7947 व प्राईवेट व्हीकलो के रैडिंग पार्टी तैयार करके, तफतीशी बैग व लैपटाप, प्रिन्टर को साथ लेकर अगामी कार्यवाही हेतु रवाना मौका का होता हुं।

अज- कार्यालय राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र।

-sd-अग्रेजी Harjnder singh

हरजिन्द्र सिंह निरीक्षक,

राज्य सतर्कता भ.नि.ब्यूरो, उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र

दिनांक- 20.09.2026

समय -8.00 AM

अज थाना :- इस समय एक टाईप शुदा दरखास्त उपरोक्त निरीक्षक हरजिन्द्र सिंह रा.स.एवं भ.नि.ब्यूरो उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र बर दरखास्त कुलदीप सिंह पुत्र श्री सुखविन्द्र सिंह वासी मकान न. 927 गांव रांवर, जिला करनाल बर खिलाफ निरीक्षक राजेश कुमार सी.एम. फ्लाईंग हरियाणा बाबत शिकायतकर्ता की गाड़ियों व उसके दोस्तों की अन्य गाड़ियों को यमुनानगर से करनाल ले जाने की ऐवज में 500000/-रुपये मागने बारे वाजूर्म 7, 7A PC ACT 1988 व 308(2) BNS का होना पाया जाने पर बादस्त मुख्य सिपाही मनीषा रानी न. 633/कैथल के थाना में प्राप्त होने पर मुकदमा न. 18 दिनांक 20.09.2026 धाराधीन 7, 7A PC ACT 1988 व 308(2) BNS थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पैशल रिपोर्ट सेवा में ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब कुरुक्षेत्र भेजी जा रही है व नकल मिसल पुलिस मय असल तहरीर आगामी अनुसंधान हेतु आने वाले मनीषा रानी न. 633/कैथल के द्वारा अनुसंधानकर्ता के पास मौका पर भेजा जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां सम्बन्धित की सेवा में बजरिया डाक भिजवाई जाएंगी। अनुसंधानकर्ता निरीक्षक हरजिन्द्र सिंह की सी.सी.टी.एन.आई.डी.ना होने के कारण अनुसंधानकर्ता नि.नन्ही देवी को दर्शाया गया है यह अभियोग निरीक्षक सुबे सिंह थाना रा.स.एवं भ.नि.ब्यूरो उप केन्द्र कैथल की हाजिरी में दर्ज किया जा रहा है। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया। ले.

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

- (2) Directed (Name of I.O.) (जाँच अधिकारी का नाम): Nanhi Rank (पद): I (Inspector)
 devi
 No. (सं.): 1 to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)
 or (या)

- (3) Refused investigation due to (जाँच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
 on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण
 हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
 (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
 (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression
 of the complainant / informant
 (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
 हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): Pardeep Yadav

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant
 of Police)

No. (सं.): HPS

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					
						Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)